न्यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 61/2021

वादी

1 हरीराम उर्फ हरजीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी घोनरी तालर (रामसर का कुआं) तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 गोमाराम 2 कुम्पाराम 3 अमराराम 4 प्रागाराम पिसरान गेनाराम 5 दीपाराम 6 रेखाराम 7 हनुमानराम पिसरान बगताराम 8 डालुराम पुत्र लाखाराम प्रतिवादी सं 8 डालूराम पुत्र लाखाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया प्रतिवादीनी सं. 9 तीजा 9 तीजा पत्नी लाखाराम जाति जाट निवासी घोनरी तालर (रामसर का कुआं) तहसील व जिला बाड़मेर 10 तहसीलदार बाड़मेर 11 शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री करनाराम चौधरी, वकील वादी पक्ष।
2. श्री भवानी सिंह चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 09।

निर्णय

दिनांक 05/05/2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 09 की संयुक्त पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा घोनरी तालर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 10 रकबा 29.10 बीघा खसरा संख्या 18 रकबा 0.05 बीघा खसरा संख्या 19 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 21 रकबा 108.16 बीघा कुल रकबा 138.15 बीघा तथा मौजा रामसर का कुआं पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 900/767 रकबा 2.09 बीघा खसरा संख्या 939/767 रकबा 4.10 बीघा कुल रकबा 6.19 बीघा तथा मौजा रावतसर पश्चिम पटवार हल्का रावतसर पश्चिम तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 514 रकबा 32.14 बीघा भूमि आई हुई है, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का संयुक्त कब्जा काश्त है, वादग्रस्त भूमि में वादी का का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 05 से 09 का 1/3 हिस्सा आया हुआ है तथा इसी प्रकार विवादित भूमि पर काबिज हैं परन्तु सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद होने से पक्षकारों के मध्य तनाव की स्थिति रहती है। प्रतिवादीगण झगड़ालू प्रवृति के लोग है तथा वादी की भूमि में विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने का फायदा उठाकर कर पुरानी मोठों को तोड़ पर आमदा है तथा अपने हिसाब से विभाजन करने की धमकिया दी तथा अच्छी भूमि का बेचान करने की धमकिया दी तथा मौके की स्थिति को रद्दोबदल करने लगे। भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से कब्जे को लेकर विवाद रहता है, लिहाजा मौजा घोनरी तालर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 10 रकबा 29.10 बीघा खसरा संख्या 18 रकबा 0.05 बीघा खसरा संख्या 19 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 21 रकबा 108.16 बीघा कुल रकबा 138.15 बीघा तथा मौजा रामसर का कुआं पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.05 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 900/767 रकवा 2.09 बीघा खसरा संख्या 939/767 रकबा 4.10 बीघा कुल रकबा 6.19 बीघा तथा मौजा रावतसर पश्चिम पटवार हल्का रावतसर पश्चिम तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 514 रकबा 32.14 बीघा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित कर भूमि का वाई मिट्स उण्ड बाउण्ड पृथक करवाने का वादी अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 09 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 09 की संयुक्त पैतृक खातेदारी की अविभाजित भूमि मौजा घोनरी तालर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 10 रकबा 29.10 बीघा खसरा संख्या 18 रकबा 0.05 बीघा खसरा संख्या 19 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 21 रकबा 108.16 बीघा कुल रकबा 138.15 बीघा तथा मौजा रामसर का कुआं पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 900/767 रकबा 2.09 बीघा खसरा संख्या 939/767 रकबा 4.10 बीघा कुल रकबा 6.19 बीघा तथा मौजा रावतसर पश्चिम पटवार हल्का रावतसर पश्चिम तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 514 रकबा 32.14 बीघा भूमि आई हुई है, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का संयुक्त कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 से 09 का 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। लिहाजा मौजा घोनरी तालर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 10 रकबा 29.10 बीघा खसरा संख्या 18 रकबा 0.05 बीघा खसरा संख्या 19 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 21 रकबा 108.16 बीघा कुल रकबा 138.15 बीघा तथा मौजा रामसर का कुआं पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 900/767 रकबा 2.09 बीघा खसरा संख्या 939/767 रकबा 4.10 बीघा कुल रकबा 6.19 बीघा तथा मौजा रावतसर पश्चिम पटवार हल्का रावतसर पश्चिम तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 514 रकबा 32.14 बीघा भूमि में वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 से 09 का 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों की होने से उक्तानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करवाने का प्रतिवादी संख्या 01 से 09 अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.05 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद में समुचित सुनवाई पश्चात दिनांक 22.08.2023 को प्राथमिक निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से भूमि विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक राजस्व/पीडी/2025/520 दिनांक 28.03.2025 के जरिये भूमि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को उपलब्ध करवाया गया।

तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान के हस्ताक्षर है। वकील प्रतिवादीगण ने आपति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को मौके पर उपस्थिति होकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया जबकि तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नही बुलाया गया न ही कोई नोटिस जारी किये गये तथा न ही स्वंय मौके पर उपस्थित हुए। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित होकर गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रतिवादी तीजो की रहवासी ढाणी बनी हुई है उकत ढाणी के चारों तरफ प्रतिवादी तीजों का कब्जा काश्त है परन्तु विभाजन प्रस्ताव में तीजो की रहवासी ढाणी के आसपास वाली भूमि वादीनी की बताई गई, जिसके कारण प्रतिवादी तीजों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेड हाईवे पर स्थित भूमि की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसके चारों तरफ की भूमि हड़पने की नीयत से पटवारी एवं आरआई द्वारा वादी से मिलिभगत कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा दिया जबकि वादी का उक्त कोई कब्जा काश्त नही है। लिहाजा विभाजन प्रस्ताव रहवास के प्रतिकूल होने के कारण पुनः मंगवाने का निवेदन किया।

वकील वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपति पर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों द्वार दिनांक 25.03.2025 को मौके पर पहुंचे तथा दोनों पक्षकारान को उपस्थित होने हेतु नोटिस भी दिये इसमे से वादी व प्रतिवादीगण गोमाराम, हनुमानराम व तीजोदेवी मौके पर उपस्थित रहे तथा तहसीलदार ने आस–पास से पडौसियों को मौके पर बुला दिया तथा उनके रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया। विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के अनुसार तैयार किया गया। तीजों का मौके पर कब्जा नही है परन्तु तहसीलदार ने प्रतिवादीनी को हिस्से में आने वाली जमीन दिखाई है। वादी को पूर्व में बंटवाड़ा करके सड़क पर आने वाली भूमि दी गई थी तथा अब प्रतिवादीगण की नीयत में फर्क आने से वादी से उक्त भूमि हड़पना चाहते है। प्रतिवादीगण वाद को बढाने की नीयत से आपतियां प्रस्तुत कर रहे है जो निराधार होने से खारिज योग्य है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुसार एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो संलग्न दस्तावेज से प्रमाणित है जिस प[illegible] व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। अतः वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपति निराधार होने से खारिज की जाती है। लिहाजा वादी का वाद एवं तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र एवं तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर मौजा घोनरी तालर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 10 रकबा 29.10 बीघा खसरा संख्या 18 रकबा 0.05 बीघा खसरा संख्या 19 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 21 रकबा 108.16 बीघा कुल रकबा 138.15 बीघा तथा मौजा रामसर का कुआं पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.05 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 900/767 रकबा 2.09 बीघा खसरा संख्या 939/767 रकबा 4.10 बीघा कुल रकबा 6.19 बीघा तथा मौजा रावतसर पश्चिम पटवार हल्का रावतसर पश्चिम तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 514 रकबा 32.14 बीघा भूमि का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाकर लगान का निर्धारण किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	हरजी पुत्र जेठाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा बाडमेर	घोनरी तालर	19 10 21	0.0324 2.3877 6.1674	गै.मु.ढाणी बा.सो. बा.दो.	– 0.74 2.31	कबुतरी
		योग :–	3	8.5875	–	3.05	–
		कंवरा बाबा नगर	900/767 939/767	0.3966 0.6475	बा.दो. बा.दो.	0.15 0.24	कबुतरी
		योग :–	2	1.0441	–	0.39	–
2	तीजो पत्नी लाखाराम हिस्सा 1/8 डालुराम पुत्र लाखाराम हिस्सा 1/8 दीपाराम हिस्सा 1/4 रेखाराम हिस्सा 1/4 हनुमानराम हिस्सा 1/4 पिसरान वगताराम कौम जाट सा. देह खातेदार	घोनरी तालर	10 21	2.3876 7.1548	बा.सो. बा.दो.	0.74 2.65	हरा
		योग :–	2	9.5424	–	3.39	–
		कंवरा बाबा नगर	939/767	0.0809	बा.दो.	0.03	हरा
3	गोमाराम 1/4 हिस्सा कुम्पाराम हिस्सा 1/4 अमराराम हिस्सा 1/4 प्रागाराम हिस्सा 1/4 पिसरान गेनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	घोनरी तालर	18 21	0.0405 4.2897	गै.मु.ढाणी बा.दो.	– 1.56	गुलाबी
		योग :–	2	4.3302	–	1.56	–
		रावतसर पश्चिम	514	5.2933	बा.दो.	1.96	गुलाबी

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.05 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 05/05/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर